ISSN 2278-8808 SJIF 2014 = 4.889
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

सामाजिक अंकेक्षण द्वारा राष्ट्र निर्माण: एक कल्पना (मिथ) या सच्चाई

विनीत कुमार सिन्हा

राजनीति विज्ञान विभाग, पी जी डी ए वी महाविद्यालय (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय

Abstract

सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत की पृष्ठभूमि स्थानीय शासन के स्तर पर जड़- जमाएं भ्रष्टाचार के विरुद्ध शुरू हुए आंदोलन में दिखती है। यह आंदोलन मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा राजस्थान में 90 के दशक के पूर्वार्ध में शुरू होता है। सहभागी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राजस्थान के ग्रामीणों ने मिलकर मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1990 में किया, जिससे ग्रामीणों का जीवन गरिमापूर्ण और न्याय आधारित हो सके। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार में सामाजिक अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण यंत्र साबित हो रहा है। यदि सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सका तो उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सहभागिता की नई परिभाषा लिखी जा सकती है। योजनाएं व्यवहारिक धरातल पर लागू हो रहे हैं और उनकी गुणवत्ता उच्च किस्म के है। सामाजिक अंकेक्षण की महत्ता को देखते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने सरकारी सभी कामकाजों में सामाजिक अंकेक्षण पर बल दिया है। सामाजिक अंकेक्षण की वजह से ही आंध्र प्रदेश में पंचायत अच्छा काम कर रही है। सामाजिक अंकेक्षण का ही परिणाम है कि वहां गबन की राशि की वापसी हो सकी है।

की वर्ड्स: सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व, सहभागिता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक शासन एवं मूल्य, मनरेगा, पंचायती राज व्यवस्था।

प्रस्तावना:

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 के उप धारा दो के तहत ग्राम सभा को नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करने की शक्ति दी गयी है। उपधारा एक में कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर होने वाले सभी कार्यों का निरीक्षण करेगा, अधिनियम के उप धारा 2 के तहत ग्राम सभा को नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करने की शक्ति दी गई है और उपधारा तीन के अनुसार ग्राम पंचायत सभी आवश्यक सूचना- जैसे कि मस्टररोल, बिल्स, वाउचर संबंधित मापने वाली पुस्तकें (मेजरमेंट बुक्स), पारित आदेश की कॉपी और अन्य खाता संबंधी पुस्तकें सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत लागू की गई नीतियां कार्यक्रम और योजनाओं का ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। इसका आशय यह है कि पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा लागू होने वाली नीतियां, कार्यक्रमों और योजनाओं की भौतिक परीक्षण इस आधार पर की जाएगी कि उसका गरीबों, पर्यावरण और गुणवत्तापूर्ण विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और यह परीक्षण समाज के लोगों के द्वारा किया जाना है। इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि सरकारी कामकाजों का परीक्षण समाज के द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई। इसके पूर्व नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पत्र में पंचायती राज संस्थाओं तथा विकेंद्रीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण पर बहुत अधिक बल दिया गया था। केरल ऐसा राज्य बना जिसने सबसे पहले अपने स्थानीय निकाय में (1994)

सामाजिक अंकेक्षण की औपचारिक शुरूआत किया1। सामान्यतः जिन गरीब व्यक्तियों के लिए योजना एवं कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनको इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उद्देश्यों की जानकारी ही नहीं हो पाती। अतः, इन गरीब व्यक्तियों को योजनाओं व कार्यक्रमों के निर्णय निर्माण तथा लागू करने वाली प्रक्रिया की जानकारी एवं इनमें इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। गांव के गरीब आदमी, शिक्षित युवा एवं अन्य सक्रिय लोगों को सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी, उनको अपने अधिकार एवं हकदारी का ज्ञान इन सब की सूचना जरूर होनी चाहिए। इससे आमजन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उसकी कमियों पर निगरानी रख सकेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर कमियों और अनियमितताओं को प्रशासन के ध्यान में लाकर आवश्यक सुधार करवा पाएंगे। सामाजिक अंकेक्षण ऐसा ही माध्यम है जिससे उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है और सामाजिक अंकेक्षण से योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ेगी।

ग्राम सभा द्वारा सभी परियोजनाओं का नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण होते रहने के प्रावधान के अतिरिक्त इसकी आवश्यकता इस बात में भी है कि मनरेगा के क्रियान्वयन एवं निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और क्रियान्वयन की जानकारी सभी नागरिकों को मिले। पंचायती राज के प्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मियों को जनता के प्रति जवाबदेही निश्चित की जाए और नीतियों के क्रियान्वयन में जन भागीदारी बढ़ाने की कोशिश भी हो। जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हों और अनियमितताओं को रोककर योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत भी हों। इसके साथ ही,आवश्यक इसलिए भी है कि किसी भी प्रकार की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की संभावना को समाप्त कर गरीब और मजदूरों को अपेक्षित लाभ पहुंचने के साथ ही उनका गुणवत्ता पूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके।

सामाजिक अंकेक्षण के बेहतर आयोजन के परिणामस्वरुप यह भी देखने में आया कि ग्रामवासियों में अपने अधिकारों के एवं हकदारी के प्रति जागरूकता आती है, योजना के क्रियान्वयन की निरंतर मॉनिटरिंग एवं फीडबैक से जनता में जन स्वामित्व की भावना पनपती है, जनता के द्वारा स्थानीय शासन से जवाबदेही की मांग भी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही जनता की सक्रिय भागीदारी से ऐसी योजना के प्रभाव का मूल्यांकन भी संभव हो पाता है। योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन में कमियां और उनका सामर्थ्य पता चल पाता है। कार्यक्रम की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। इस तरह से, योजना क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और प्रभावी बनाया जा सकता है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा में सभी सूचनाएं जोर-जोर से पढ़कर सुनाई जाती है और लोगों को अधिकारियों से सवाल पूछने, जानकारी हासिल करने, खर्चों की जांच करने और अपने अधिकारों की पड़ताल करने, जिन कार्यों का चुनाव किया गया है उनके बारे में चर्चा करने तथा काम की गुणवत्ता एवं कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के व्यवहार का समालोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने का मौका भी मिलता है।

"सोशल ऑडिट इन आंध्रप्रदेश: अ प्रोसेस इन इवोल्यूशन"2 अपने इस आलेख में करुणा वकाती अकेला और सौम्या किदाम्बी कहती हैं कि जब से आंध्रप्रदेश में मनरेगा शुरू हुआ है और उसका सामाजिक अंकेक्षण हुआ तब से लेकर आज तक लगभग 40 लाख आधिकारिक रिकॉर्ड का सार्वजनिक रूप से स्क्रूटनी संभव हो

सका है। भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए हैं, गबन हुए रकम की वापसी संभव हो सकी है और सामाजिक बहिष्करण के डर से लोग गलत काम करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो नौकरशाही की संरचना आम लोगों के लिए अभेद दरवाजे से कम नहीं था, सामाजिक अंकेक्षण की वजह से एक सामान्य नागरिक भी उनसे सवाल कर सकता है, उनके कार्यक्रम की समीक्षा कर सकता है और निर्गत राशि और व्यय की जाने वाली राशि में अंतर होने पर उसी समय उस गबन पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। इस नई व्यवस्था ने आम जन की सहभागिता को काफी बढ़ाया है और स्वाभाविक रूप से लोग भी बड़ी मात्रा में बढ़-चढ़कर इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने लगे हैं। विशेष रुप से जब जनसुनवाई का आयोजन होता है और उसमें विभिन्न प्रकार के कागजों का निरीक्षण और उसकी समीक्षा शुरू होती है, लोगों की सहभागिता काफी बढ़ती दिखती है क्योंकि, एक सामान्य नागरिक नीति, कार्यक्रम और योजना के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चिंतित है। वे चाहते हैं कि इनमें ना तो भ्रष्टाचार हो, यह प्रासंगिक बने रहे और प्रक्रिया पारदर्शी भी हो।

दीपा सिन्हा अपने आलेख "सोशल ऑडिट ऑफ़ मिड डे मील स्कीम इन आंध्रप्रदेश"3 में दिखाया है कि 2008 के दौरान आदिलाबाद में 54 और कुरनूल के 57 विद्यालय में सामाजिक अंकेक्षण किया गया। दरअसल, यहां मिड डे मील से संबंधित सामाजिक अंकेक्षण के लिए रिसोर्स पर्सन की टीम बनाई गई, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस टीम में बच्चों के माता-पिता, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय नेता, महिला संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल किया गया। सोशल ऑडिट टीम बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालयों में उस समय जाती थी जब बच्चे दोपहर का भोजन कर रहे होते थे। उस समय बच्चों की संख्या की गिनती होती थी, जिससे कि स्कूल रजिस्टर में नामांकित बच्चों की संख्या से उसको मिलाया जा सके। इस टीम ने अपने अध्ययन में पाया कि लगभग 15 प्रतिशत बच्चों की संख्या अनुपस्थित है, जिनकी 15 प्रतिशत अधिक संख्या स्कूल द्वारा उपस्थित रजिस्टर में दिखाया जा रहा था। वस्तुत: 15 प्रतिशत बच्चे उपस्थित ही नहीं थे जिन्हें उपस्थित दिखाया जा रहा था। इसी तरह, कुर्नूल जिला के बोलागुट्टा गांव में जहां केवल 25 से 30 विद्यार्थी उपस्थित थे वहीं उनकी संख्या 70 से 80 दिखाया जा रहा था। इतना ही नहीं, प्रतिदिन के हिसाब से हेड मास्टर जो 9 किलो चावल पकाने का रिकॉर्ड लिख रहे थे, वास्तविकता में वह 3 से 4 किलोग्राम चावल ही देते थे, इसका मतलब यह हुआ कि 5 से 6 किलो चावल का गबन हो रहा था। इस विषय को ग्राम सभा में जब उठाया गया तो हेड मास्टर ने इसे स्वीकार किया और उसके मूल्य के बराबर गबन की हुई राशि उनको वापस लौटाना पड़ा। चावल का स्टॉक रखने का प्रबंध या तो रसोईया के घरों में या फिर डीलर्स के घरों को बनाया गया था। इस विषय को भी जब ग्राम सभा में उठाया गया तो रसोईया एवं डीलर्स दोनों ही चावल आपूर्ति से संबंधित इस गड़बड़ी को स्वीकारा। ग्राम सभा ने अपने निर्णय में चावल के भंडारण की व्यवस्था स्कूलों में किया और इसकी सुरक्षा की तथा आपूर्ति की जिम्मेदारी हेड मास्टर को दिया गया।

सामाजिक अंकेक्षण टीम को कुर्नूल जिले में जाति आधारित भेदभाव भी दिखाई दिया। रेड्डी जाति के बच्चे भोजन इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उसे पिछड़ी जाति के रसोईयों ने पकाया था। इसी तरह, हलूर गांव के उच्च जाति के विद्यार्थी अनुसूचित जाति के रसोइयों द्वारा बनाए गए खाने को नहीं खा रहे थे। सामाजिक

अंकेक्षण टीम को इस तरह का भेदभाव केवल 10 प्रतिशत स्कूलों में ही मिला, शेष स्थानों में स्थिति ठीक चल रहा था। इन सारे तथ्यों और विश्लेषण को बच्चों के अभिभावकों से चर्चा करके ग्राम सभा में जब रखा गया तो इन समस्याओं का समाधान निकल पाया। इसका परिणाम यह रहा कि जिन विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण हुआ था, वहां मिड डे मील योजना बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किया जाने लगा। अनेकों गड़बड़ियों का निदान हो गया। सामाजिक अंकेक्षण में लोगों की भागीदारी भी बढ़ने लगा।

"चैलेंजिंग करप्शन विद सोशल ऑडिट्स"4 में अरुणा अकेला एवं सौम्या किदाम्बी अपने इस आलेख के माध्यम से दिखाया है कि, किस तरह से सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया ने सरकार और नागरिक समाज के बीच नई साझेदारी और समझ विकसित किया है। एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अनंतपुर जिला में सितंबर 2006 में सामाजिक अंकेक्षण कराया गया। इस सामाजिक अंकेक्षण की खास बात यह रही कि रिकॉर्ड स्तर पर 31 विभिन्न नागरिक समाज संगठन एक साथ होकर राज्य सरकार के साथ काम करने की इच्छा जाहिर किया। एक सप्ताह के बाद ही, बिल्कुल ही स्वैच्छिक प्रक्रिया के आधार पर 600 ग्राम पंचायतों में 1500 कार्यकर्ताओं ने सामाजिक अंकेक्षण का सफल आयोजन किया। इस उदाहरण को देखते हुए विजयनगरम जिला में 20 जनजाति संगठनों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया गया और खुद के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का आग्रह भी किया। यह एक नया सकारात्मक संकेत है, जहां लोग अपने ही व्यवस्था में सहभागी शासन को बढ़ावा दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्या श्रीमती अरुणा राय ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार की तरह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था 'सोसायटी फॉर ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी' प्रत्येक राज्यों में स्थापित करने की जरूरत है, जिससे कि ग्रामीण गरीबों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण में सहयोग मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक ₹88 करोड़ के गबन का पता चला है और 4600 से अधिक सरकारी अधिकारियों को स्क्रूटनी के अंदर लाया गया है। अपने आलेख "नरेगा सोशल ऑडिट: मिथ्स एंड रियलिटी"5 में के एस गोपाल ने यह दिखाया है कि अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में विभिन्न मंडलों में एक तो गबन की हुई राशि का पता चल पाया और उसकी वापसी संभव हो सका है। उन्होंने बताया कि चिल्लामुथु, गंदलापेंटा, पुत्तापार्थी, कंगानापल्ली, बाटालापल्ली, रायगिरी और कादरी वाले मंडलों में वापसी अत्यंत कम है लेकिन यहां गबन की राशि अधिक मात्रा में है। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक अंकेक्षण भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति की पहचान करने में सफल हो रहा है। टनाकाल, गूट्टी, टाडीमारी,धर्मीवरम, मीडापनाकालू और उरुवकोंदा वाले मंडलों में गबन की राशि अपेक्षाकृत कम है लेकिन वापसी का प्रतिशत ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि व्यावहारिक धरातल पर इन मंडलों में अच्छा कार्य हुआ है, इसलिए गबन करने की संभावना कम रही। चूंकि सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन प्रभावी तरीके से हुआ, इसलिए जितनी भी मात्रा में गबन किया जा सका, उसकी वापसी अधिक मात्रा में संभव हो पाया। सूचना के अधिकार लागू होने से सरकारी सूचना प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान हो गया और लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार सूचना प्राप्त भी कर रहे हैं। लेखक ने यह भी दिखाया कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जो सारे लोग हाशिए पर बैठे मिलते थे, अब वह केंद्र में आकर के सहभागी हो कर सवाल- जवाब करने लगे हैं। जिनके जॉब कार्ड नहीं बने थे, जॉब कार्ड बन रहा था, जिनको नहीं दिया जा

सका था, उन्हें दिया जा रहा था। जिनका पोस्ट ऑफिस में खाता खुलना था, उनका स्पॉट पर ही खोला जा रहा था अर्थात सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप स्पॉट पर ही एक्शन लिया जा रहा था। इतना ही नहीं, सामाजिक अंकेक्षण की टीम ने जिस भी कर्मचारी को भ्रष्टाचारी गतिविधि में लिप्त पाया उसे सेवा से तत्काल प्रभाव से हटाया भी, जैसे कि 50 फिल्ड असिस्टेंट, 10 टेक्निकल असिस्टेंट और 6 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नौकरी से सस्पेंड किया गया। साथ ही, मंडल परिषद विकास अधिकारी को भी निष्कासित किया गया और संबंधित विभागीय जांच के आदेश दिए गए। सामाजिक अंकेक्षण का इस तरह का प्रभाव निश्चित रूप से राज्य और नागरिकों के बीच में एक अंतर्संबंध को स्थापित कर रहा है।

यहां अपने शोध अध्ययन के माध्यम से मैं अपने अनुभवों को रखना चाहूंगा। मेरा शोध कार्य राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का है। इस जिले के बकानी पंचायत समिति के अंतर्गत अमृतखेड़ी ग्राम पंचायत में किए कार्यों के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भले ही ग्राम सभा की बैठक की सूचना सभी ग्रामीणों को ना मिल पाती हो, सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी ना होती हो, तब भी, हमने देखा कि न तो किसी ग्रामीणों को ग्राम पंचायत से ही और न ही सरपंच से ही शिकायत थी। इसका कारण यह था कि सभी ग्रामीण छोटे-बड़े किसान थे, मजदूर थे, वैसी स्थिति में ग्राम सभा में उपस्थिति उनके लिए एक कठिन कार्य था। ऐसी परिस्थिति में, सरपंच ने एक अलग व्यवस्था निकाली और वह अनौपचारिक तरीके से चौपाल पर, मंदिरों में, स्कूल प्रांगण में जहां भी जैसे लोग मिलते थे उन से चर्चा करते थे, योजनाओं की और उसके क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं के बारे में सलाह मशविरा करते थे। अनुसूची 11 में वर्णित विषय को लागू करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि ग्राम पंचायत में पशु मेला या सामान्य मेला का आयोजन। वहां का ग्रामीण ग्राम पंचायत से और अपने सरपंच से बहुत खुश थे6। मैंने अपने फील्ड वर्क के दौरान यह बात सामान्य रूप से देखा कि सामाजिक अंकेक्षण के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन का अधिकार ग्राम सभा को है और ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की जानकारी ग्रामीणों को बेहतर ढंग से नहीं मिल पाती है। जैसा कि ग्रामीण बता भी रहे थे और एक दूसरी बात और भी है कि ग्रामीण इन बैठकों में स्वेच्छा से अपनी व्यस्तता के कारण शामिल भी नहीं होना चाहते। सामाजिक अंकेक्षण की संकल्पना से संबंधित जब बातें हम ग्रामीणों से कर रहे थे तो ग्रामीण बहुत ही उत्साहित हो रहे थे कि यह योजना बहुत अच्छी है, इसे निरंतर रूप से चलना चाहिए7। यहां हमने देखा कि कुछ ग्रामीणों के स्तर पर तो कुछ संस्थागत स्तर पर समस्या थी, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीणों के बीच में इस तरह का गैप उत्पन्न हुआ है। ग्रामीणों ने स्वीकार भी किया कि ऐसी स्थिति में, चुंकि ग्राम सभा की बैठक की सूचना नहीं मिल पाती और सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जागरूकता का अभाव है तो एक नई व्यवस्था, एक नई संरचना विकसित हुई। इसके तहत शिविर का आयोजन शुरू हुआ है। इसमें जिला स्तर के अधिकारी भी शामिल होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि वहां केवल वही ग्रामीण जाते हैं जिन्हें कोई समस्या होती है। ग्रामीण अपनी समस्या रखते हैं और उसका समाधान हो जाता है, कुछ का नहीं भी हो पाता। इससे अर्थ यह निकलता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीणों के बीच विमर्श का विषय नहीं बन पाया है और यह आभास सरकारी एजेंसी को भी है। इस संबंध में

लोगों के पास जाकर उनसे बात करने और सरकारी नीतियों के बारे में बताने का एक शिविर के रूप में वैकल्पिक तंत्र विकसित हुआ है। जहां तक सरकारी दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण का प्रश्न है तो उसके विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि झालावाड़ जिला के ही बकानी, खानपुर और झालरापाटन पंचायत समिति के विभिन्न पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण होने का रिकॉर्ड है और लोगों के हस्ताक्षर भी हैं। इससे आशय यह निकलता है कि लोग उस में सहभागी हो रहे हैं। उस रिपोर्ट में यदि किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखती है तो इससे आशय यह निकाला जा सकता है कि जो समस्या सामने आई उसका समाधान हो गया।

यह बात भी सच है कि सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। ऐसे में उनकी भागीदारी कम होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में, ग्रामीण अन्य तरीकों से जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख किया है कि अब वे सवाल करना शुरु किया है, प्रतिनिधि जहां मिलते हैं, उनसे वही सवाल करते हैं, चाहे उनके घर पर, पंचायत भवन में, चौपालों पर या जहां भी उनको मौका मिलता है उनसे सवाल पूछते हैं। इस तरह की जो नई प्रवृत्ति उभरी है, यह एक सकारात्मक दिशा में कदम है क्योंकि, लोग अपनी व्यवस्था में भागीदार होना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर की पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ही हो। जब मेरी ग्रामीणों से बात हो रही थी और मैं उनसे सवाल कर रहा था कि, क्या आप नौकरशाही वाली या स्वशासन आधारित व्यवस्था इन दोनों में से किसे स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं तो, शत प्रतिशत ग्रामीणों का उत्तर यही होता था कि विकास और कल्याण के लिए हमें स्थानीय स्वशासन पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था ही मंजूर है। यहां कम से कम हम अपने प्रतिनिधियों से सवाल तो कर सकते हैं, उनसे आग्रह तो कर सकते हैं और अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम अगले निर्वाचन में उसके खिलाफ मतदान तो कर ही सकते हैं। हमारे पास यह विकल्प रहता है और सच मायने में लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है।

यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक अंकेक्षण प्रभावपूर्ण तरीके से तभी लागू किया जा सकता है जब मनरेगा का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। मनरेगा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ा है, जीन द्रेज के एक अध्ययन8 से यह बात साफ हो जाती है। जीन द्रेज ने अपने अध्ययन जो कि रेंडम तरीकों से 1000 श्रमिकों पर हिंदी भाषी छह राज्यों- बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किया है, के आधार पर दिखाया कि मनरेगा का लाभ गरीबों में भी अत्यधिक गरीबों तक पहुंच रहा है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को इस योजना से बहुत लाभ मिल रहा है। इसलिए सैंपल में 73% इस समुदाय से है जो मनरेगा श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। इन श्रमिकों में से 81% कच्चे मकान में रह रहे थे जबकि 72% श्रमिकों के घर में बिजली नहीं थी। इन राज्यों में जबकि महिलाओं के लिए समान अवसर कम है, तब भी 30% महिला श्रमिक ऐसे मिले जो सर्वे के तीन माह के दौरान मनरेगा के अलावा उन्हें आय प्राप्त हुआ था, 79% महिला श्रमिकों ने मनरेगा से प्राप्त मजदूरी को खुद से ग्रहण किया और 68% महिला श्रमिकों ने उस मजदूरी को स्वयं के पास रखा भी। यहां यह स्पष्ट हो रहा है कि मनरेगा ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया ही है साथ ही, उनके परिवार के अन्य सदस्य (जैसे कि उनके पति) आय

का कुछ भाग घरेलू कार्यों हेतु उनसे ले भी रहे हैं। अध्ययन में यह भी दिखाया गया है कि मनरेगा को अपने जीवन में 71% श्रमिक महत्वपूर्ण मान रहे थे, इनमें से 69% भूख से 57% तनावपूर्ण प्रवसन से, 47% परिवार के सदस्यों के बीमार पड़ने की स्थिति में और खतरनाक कार्यों से बचाने के लिए इसके महत्व को 35% श्रमिकों ने स्वीकार किया है। इसके साथ ही, 83% श्रमिकों ने स्वीकार किया है कि गांव में संपदाओं का निर्माण हुआ है और केवल 11% श्रमिकों को कार्यस्थल पर छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। श्रमिकों में 98% प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार चाहते थे लेकिन सर्वे से स्पष्ट हुआ कि 12 माह के समय में केवल 43 दिनों का ही रोजगार उपलब्ध हो सका। इस अध्ययन का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि मनरेगा का सही तरीके से और सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन प्रभावपूर्ण तरीके से यदि हो तो समाज में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है।

निष्कर्ष:

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण की वजह से लोगों की जनभागीदारी राज्य की विभिन्न संस्थाओं में बढ़ी है। आमजन का संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है। इससे आपूर्ति पक्ष अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और समाज के प्रति संवेदनशील होते दिख रहे हैं। मांग पक्ष के सशक्तिकरण होने की वजह से न केवल संपूर्ण समाज सशक्तिकृत हुआ है बल्कि राज्य की संस्थाएं भी मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब जन भागीदारी बढ़ेगी, संस्थाएं संवेदनशील होती जाएंगी। सामाजिक अंकेक्षण की सबसे खूबसूरती इस बात में है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी के आधार पर ही किया जाता है। अतः सामाजिक अंकेक्षण न केवल जन भागीदारी बढ़ा रहा है बल्कि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और शासन के जिम्मेदारीपूर्ण अपेक्षित व्यवहार को भी हमारे समक्ष लाने में हमें मदद कर रहा है। यह राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

संदर्भ:

1. डायमंड, लैरी (2008), 'द स्प्रीट ऑफ डेमोक्रेसी: द स्ट्रगल टू बिल्ड फ्री सोसायटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड' न्यूयॉर्क:

होल्ट पेपरबैक्स एंड बेकर्स, विक्टर, गेसके, डिकस्त्रा, आॅर्थर एडवर्ड्स एंड मैनो फेंगर (संपादित, 2007), गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक डेफिसिट: एसेसिंग द डेमोक्रेटिक लेजिटीमैसी आफ गवर्नेंस प्रैक्टिसेज, इंग्लैंड: एसग्टे पब्लिशर.

2. अकेला, करुणा वकाती एंड किदांबी, सौम्या (2007)' सोशल ऑडिट इन आंध्र प्रदेश: अ प्रोसेस इन इवोल्यूशन' इन नवंबर 24, 2007, इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली,पृ.18 -19

3. सिन्हा, दीपा (2008) 'सोशल ऑडिट ऑफ मिड डे मील स्कीम इन आंध्र प्रदेश' इन नवंबर 1, 2008, इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली, पृ. 57-61

4. अकेला, अरुणा वकाती एंड किदांबी सौम्या (2007) 'चैलेंजिंग करप्शन विद सोशल ऑडिट्स' इन इकोनामिक

एंड पॉलीटिकल वीकली, फरवरी 3, 2007 पृ 345-47

5. गोपाल के एस (2009) 'नरेगा सोशल ऑडिट: मिथ्स एंड रियलिटी' इन इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली,

जनवरी 17, 2019, पृ. 71

6. वर्ष 2014, स्थान -अमृतखेड़ी गाँव, झालावाड़, राजस्थान

7. वही

8. द्रेज, जीन 'एंप्लॉयमेंट गारंटी एंड द राइट टू वर्क' चैप्टर -34 पृ. 510-18 "इन द ऑक्सफोर्ड कमपैनियन टू

पॉलिटिक्स इन इंडिया" एडिटेड बाय निरजा गोपाल जयाल एंड बी पी मेहता (2010), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ.514